न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 23/2005/75 एलआर एक्ट

1. लिछमण (फौत)

1/1 देवली देवी पत्नि स्व. लिछमण जाति भाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 जगराम पुत्र लिछमण जाति भाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 मंगलाराम पुत्र लिछमण जाति भाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/4 कलावती देवी पुत्री लिछमण जाति भाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/5 परमेश्वरी देवी पुत्री लिछमण जाति भाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/6 कृष्णा देवी पुत्री लिछमण जाति भाट निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. पन्नाराम (फौत)

2/1 सजनादेवी पत्नि स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/2 सोहनलाल पुत्र स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/3 इन्द्राज पुत्र स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/4 प्रहलाद पुत्र स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/5 कृष्णलाल पुत्र स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/6 दौलतराम पुत्र स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2/7 शीशपाल पुत्र स्व. पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. रणवीर पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––अपीलांटस

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
2. हरपत पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. गंगाजल पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. कृष्ण पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. जगदीश पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. रतीराम पुत्र बस्तीराम जाति मेघवाल निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.07.2002 न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ प्रकरण सं. 500/94 अनवानी सरकार बनाम पन्नाराम

उपस्थित :—

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः—08.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे विवादित भूमि 23.10 बीघा गैरदाखिलकारी की मानते हुए कार्यवाही की गई जिसमे से अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट सं. 1 की 3 बीघा भूमि आवंटन होना मानते हुए बाकी 20.10 बीघा भूमि अपीलाधीन निर्णय पारित कर विवादित भूमि 20.10 बीघा भूमि के रिज्यूम के आदेश पारित किये गये है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस या सूचना नही दी गई जो न्याय सिद्धांतो के विरूद्ध है। उक्त भूमि भू—अभिलेख मे आराजी राज भूमि थी जिसमे से अपीलांट को प.न. 197/210 कि.न. 23, 24, 25 बतौर भूमिहीन 24.10.77 को आवंटित की गई थी परन्तु सहबन आवंटन

आदेश मे प.न. गलत अंकित हो गया जिसे बाद मे प.न. 197/210 की जगह प.न. 197/211 दुरूस्त करवाया गया तथा अपीलांट सं. 2 व अपीलांट सं. 3 के पिता स्व. बस्तीराम को बाकी मांदा भूमि बतौर भूमिहीन आवंटित है व जिसकी तमाम किस्ते जमा होने पर खातेदारी सनद भी जारी हो चुकी है। विचारण न्यायालय ने इस बाबत कोई जांच या रिपोर्ट तहसील से प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे अहम भूल की है। विवादित भूमि अपीलांटस को विधिवत आवंटित व खातेदारी भूमि है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र कथन करते हुए निवेदन किया अपील ज्ञान अपीलांट से अन्दर मियाद मानी जाकर डिले कन्डोन की जाकर अन्दर मियाद मानी जावे तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि कुल 23.10 बीघा भूमि मे से मात्र 3.00 बीघा भूमि ही आवंटित भूमि है शेष 20.10 बीघा भूमि अभी तक विधिवत आवंटन नही करवाई गई। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विवादित भूमि कुल 23.10 बीघा मे से 3.00 बीघा की हद तक कार्यवाही ड्रोप करते हुए शेष 20.10 बीघा भूमि बहस सरकार रिज्यूम की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि सैल रजिस्टर खाता सं. 9/24 पन्नालाल, प्रमाणित प्रति सैल रजिस्टर खाता सं. 9/23 रामरख, प्रमाणित प्रति सैल रजिस्टर खाता सं. 9/15 लिछमण, प्रमाणित प्रति सैल रजिस्टर खाता सं. 11/16 बस्तीराम अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि विवादित भूमि 23.10 बीघा भूमि मे से 3.00 बीघा भूमि लिछमण को आवंटन होकर दिनांक 10.04.92 को जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर द्वारा खातेदारी सनद जारी हो चुकी है। शेष 20. 10 बीघा भूमि के आवंटन के संबंध मे साक्ष्य पेश नही किये गये है। इसलिए 3.00 बीघा आवंटित भूमि की हद तक कार्यवाही ड्रोप की जाती है तथा शेष 20.10 बीघा भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किया जाता है। जबकि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति सैल रजिस्टर के अनुसार कुल 23.10 बीघा भूमि पन्नालाल, रामरख, लिछमण, बस्तीराम को अलग अलग आवंटित हुई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि हेतु राजस्व अभिलेख संबंधी रिपोर्ट प्राप्त किये बिना तथा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय के जरिये विवादित भूमि 23.10 बीघा मे से 3.00 बीघा ही आवंटित मानते हुए शेष 20.10 बीघा भूमि रिज्यूम कर दी। जिसकी

पुष्टि की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाना उचित नही है। इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर विवादित भूमि हेतु राजस्व अभिलेख संबंधी रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.07.2002 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विवादित भूमि हेतु राजस्व अभिलेख संबंधी तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ